

राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ. 20 (03) () / बाअवि / किन्याअ / रा.स्त.च.स. / 02 / 9046

दिनांक: 11/6/19

अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(47) प्र.सु/अनु-3/2015 दिनांक 28.07.2015 को अतिक्रमित करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 87(1) के तहत निम्नानुसार राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन करने की महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	चयन समिति की संरचना	समिति में पद
1.	श्री विजय कुमार व्यास, माननीय न्यायाधिपति (सेवानिवृत्त) राजस्थान उच्च न्यायालय, एफ 48, 6डी, इंजीनियर्स कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश छंगानी, सी.ई.को.ई.डी.को.ऑन संस्थान, छंगानी भवन, स्टेशन रोड, फलौदी, जोधपुर।	सदस्य
3.	श्रीमती सर्लेश सिंह राणा, आश्रय रेस्क्यू एवं रीलिफ सेन्टर, 146, लायन्स लेन, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर।	सदस्य
4.	एसो. प्रोफेसर फिरोज अख्तर, 80/343 पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री योगेश यादव, फ्लैट नं. 304, आकाश गंगा, बाईस गोदाम, जयपुर।	सदस्य
6.	प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।	सदस्य
7.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य सचिव

उक्त राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 88 के तहत निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिनियम के अन्तर्गत जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों एवं बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्यों का चयन तथा उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर समिति की अनुशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। उक्त समिति के गैर राजकीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित बैठक भत्ते एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त समिति का कार्यकाल आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

आज्ञा से,


(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 20 (03)() / बाअवि / किन्याअ / रा.स्त.च.स. / 02 / 9047-9126 दिनांक 11/6/19

निम्न को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
10. रजिस्ट्रार, वर्गीकरण एवं नोडल अधिकारी, किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गांधी नगर, जयपुर।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
14. समस्त सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति.....।
15. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
16. रक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव